(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 17 / 2019

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ (राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

1– श्री प्रमोद कुमार जैन उम्र 46 वर्ष पुत्र हुकमचन्द जैन निवासी जय प्रकाश कॉलोनी, दीन दयाल पार्कबारॉ (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स जय जिनेन्द्र स्वीट्स दीन दयाल पार्क बारॉ

2– श्री मनीष कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार निवासी शिव बस्ती वार्ड नम्बर 30 बारॉ। मैसर्स मनीष कुमार, गौरव कुमार विनायक कॉमप्लेक्स प्रताप चौक बारॉ

3– प्रोपराईटर पोकरमल यादव पुत्र घीसाराम यादव निवासी चिलगाडी की धाणी सदारसर, कालाडेरा जयपुर। मैसर्स चिलगाडी फूड प्रोडक्शन सरकारी स्टेडियम के पास गोविन्दगढ चौमू जिला जयपुर।

4– मैसर्स चिलगाडी फूड प्रोडक्शन सरकारी स्टेडियम के पास गोविन्दगढ चौमू जिला जयपुर।

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 1)
3– श्री घनश्याम अग्रवाल अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 2 ता 4)

निर्णय दिनांक 10.10.2019

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.11.2018 को मैसर्स मैसर्स जय जिनेन्द्र स्वीट्स दीन दयाल पार्क बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री प्रमोद कुमार जैन पुत्र हुकमचन्द जैन (मौक पर मौजूद मालिक व विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 03.11.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक / एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 201 / 440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (श्रीरस) 1 कि.ग्रा. मे** विक्रय हेतु रखे हुये थे। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (श्रीरस)** मे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (श्रीरस)** विक्रेता से 1 **कि.ग्रा.** मूल टीन पैक के 04 मूल पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे, जिसकी कीमत श्री प्रमोद कुमार जैन पुत्र हुकमचन्द जैन **(विक्रेता)** को 320/–रू. नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाहन के हस्ताक्षर है तथा तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने खरीदशुदा **रसगुल्ला (श्रीरस)** 1 **कि.ग्रा.** वजनी मूल टीन पैक के 04 मूल पैक पर ही लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एएच–873 दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कोटा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एएच–873 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूनो पर गवाह के हस्ताक्षर करवाकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री प्रमोद कुमार जैन पुत्र हुकमचन्द जैन **(मालिक)** ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील चपडी कर नमूने की सील भाग एवं सील्ड लिफाफा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोग शाला कोटा को जमा करवाकर फार्म की पुष्ट पर रसीद प्राप्त की गई। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं0 06 की दो प्रतियो के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 06 की प्रति के डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/234 दिनांक 12.12.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 725/FSSA/Kota/Act/2018/758 दिनांक 29.11.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (श्रीरस)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3 (l)(ZF)(B)(i i) के तहत **मिथ्याछाप (MisBranded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा अनुसंधान हेतु मैसर्स जय जिनेन्द्र स्वीट्स दीन दयाल पार्क बारॉ से पंत्राक 257 दिनांक 19.12.2018 द्वारा फर्म का खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र, माल खरीद बिल एवं अन्य दस्तावेजों की सूचना रजि0 पत्र द्वारा चाही गई। फर्म द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र की छायाप्रति एवं बिल प्रस्तुत किये। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज दिनांक 12.06.2019 को रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। जिसकी रसीद पत्रावली में संलग्न है। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण क्रम 2 ता 4 द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत नही कर अंतिम बहस सुने जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस सरकार जर्ये प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (श्रीरस)** का विक्रय किया जा रहा है, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (MisBranded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (श्रीरस) उत्पाद मे मिलावटी एवं मिथ्याछाप के शक के आधार पर दिनांक 3.11.2018 को लिये गये नमूनो की खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच दिनांक 29.11.2018 के आधार पर धारा 26 उप धारा 2 (।।) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 एवं विनियम 2011 के आधार पर प्रस्तुत कियागया परिवाद मिथ्या आधारो पर आधारित होने से निरस्तनीय है।

यह कि सुरक्षा अधिकारी द्वारा रसगुल्ले कालिया गया नमूना एवं लिये गये नमूने की पैकिंग एवं नमूने के रखरखाव की सुरक्षा खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.4–1 प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार न होने से परिवाद निरस्तनीय है। यह कि नमूने का विश्लेषण करने वाली प्रयोगशालाये फूड सेफ्टी एवं स्टेण्डर्ड लेबोरेट्री कोटा नेशनल एक्क्रेडिटेशन बोर्ड से टेस्टिंग एड केलिब्रेशन का विश्लेषण करने बाबत मान्यता प्राप्त नही है। यह कि फूड सैफ्टी एवं स्टेण्डर्ड लेबोरेट्री कोटा की जॉच रिपोर्ट दिनांक 29.11.2018 मे खाद्य पदार्थ रसगुल्ला को मिस ब्राण्डेड माना है, जबकि उक्त जांच लेबोरेट्री इस प्रकार के नमूलो की जांच के लिये किसी भी प्रकार से अधिकृत नही है तथा किसी भी रूप मे साक्ष्य मे ग्राहय दस्तावेज नही होते हुये भी अप्रार्थी के विरूद्व एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 (।।) का उल्लंघन मानकर परिवाद पेश किया गया है। जो साक्ष्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के विधि प्रावधानो से असंगत होने से कार्यवाही बन्द किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी क्रम 1 उक्त कथित खाद्य पदार्थ रसगुल्ला का मात्र विक्रेता है। जिसने पैक्ड आईटम जर्ये बिल अप्रार्थी क्रम 2 से क्रय किया है एवं अप्रार्थी क्रम 3 व 4 उसके निर्माता है। इस कारण यदि किसी भी तरह का दायित्व प्रकट होता है उसके लिये अप्रार्थी क्रम 2 ता 4 दायित्वाधीन है। अप्रार्थी क्रम 1 की ओर किसी भी प्रकार का दायित्व उत्पन्न नही होता है। परिवादी को जब इन तथ्यों की जानकारी हुई कि लिया गया सेम्पल सम्पूर्ण मानको पर अति उत्तम एवं श्रेष्ठ पाया गया है तब भी जानबुझकर परिवादी द्वारा द्वारा बिना किसी वैध एवं युक्तियुक्त आधार के हम अप्रार्थीगण को जैरबार व परेशान करने की गरज से उक्त परिवाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अतः अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही सुधारात्मक निर्देश प्रदान करते हुये खारिज फरमायी जावे।

इसके विपरीत खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा की जांच रिपोर्ट क्रमांक 725/FSSA/Kota/Act/2018/758 दिनांक 29.11.2018 के बाद खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (श्रीरस) 1 कि.ग्रा. पैक** की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। किन्तु उनके द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने प्रकरण मे सरकार जर्ये प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) एवं अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के अभिभाषक की उभयपक्ष बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (श्रीरस) 1 कि.ग्रा. पैक** जॉच मे **मिथ्याछाप (MisBranded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 प्रत्येक को 7,500/– 7,500/– रूपये का जुर्माना, पत्रावली में कुल जुर्माना राशि 30,000/– अक्षरे तीस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जर्माना राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.10.23 11:34:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: